<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 65/2025

1. सुरेश पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 19/12/2025

अपीलांट सुरेश पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा द्वारा नायब तहसीलदार राजस्व छानीबड़ तहसील भादरा के प्रकरण सं. 09/2025 बअनवानी सरकार बनाम सुरेश में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2025 को अपास्त करवानें बाबत अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रोही मौजा चक 10 जे.जी.डब्ल्यु. तहसील भादरा के ख.न. 69 की गै.मु. जोहड़ में 0.037 हैक्टर भूमि के लिए जिसमें पक्के मकान एव चार दीवारी बना कर अतिचार करना बताया है तथा बेदखली व तावान के आदेश गैर कानूनी ढ़ंग से दिये है जबकि वाद भूमि जिसमें अपीलान्ट के पक्के मकान व चार दीवारी बनी हुई है। जो आबादी भूमि में बने है। बिना ग्राम पंचायत को नोटिस दिये ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं, जो अपास्तनीय है।

2. अपीलान्ट सुरेश पुत्र जोतराम के पक्ष में दिनांक 03.09.1986 को ग्राम पंचायत जोगीवाला तहसील भादरा को पट्टा जारी है [illegible] कुल वर्गगज 444–4/9 का है उक्त पट्टा पर सरपंच ग्राम पंचायत जोगीवाला तहसील भादरा व सचिव ग्राम पंचायत जोगीवाला व नायब तहसीलदार व अन्य पंचो के हस्ताक्षर युक्त अपीलान्ट के पक्ष में जारी है। उत्तर में गली व दक्षिण में गली व पूर्व में गली एवं पश्चिम में [illegible] भूमि उक्त पट्टा पचांयत की आबादी भूमि मे बना है। अपीलान्ट के मकानात पक्के कमरे व चार दीवारी बने हुए है, जो सन् 1986 से बने हुए है। ग्राम पंचायत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

समक्ष पट्टे बनाने हेतु आवेदन पेश करने व सचिव को रूपये जमा कराने की रसीद सं. 29 दिनांक 03.09.1986 सलंग्न अपील मिमो है व पट्टा दिनांक 03.09.1986 सलंग्न अपील मिमो है।

3. मातहत अदालत ने सचिव ग्राम पंचायत जोगीवाला तहसील भादरा के द्वारा आबादी भूमि में स्थित अपीलान्ट के मकान की रिपोर्ट तलब नहीं की, ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाए बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत को पंचायत समिति भादरा के पट्टे निरस्त कराये वगैर बेदखल व शान्ति कायम करने का कोई कानूनी अधिकार नही है चुंकि आबादी भूमि में अपीलान्ट का मकान बना है। उसके उतर में जोहड़ की भूमि है, जो अपीलाधीन आदेश में पटवारी हल्का से कहां से मरगज स्थित है कहां से नाप लिया कितने गठे नाप है। जमाबन्दी में नक्शा में किमती भूमि स्थित है। आबादी भूमि कितनी है। कोई स्पष्ट विवरण नही दिया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।

5. अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है तथा बिना सुनवाई साक्ष्य व जवाबदेही के एक तरफा व मनमाना आदेश पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

6. वाद भूमि आबादी भूमि है तथा किसी प्रकार से जोहड़ पायतन की भूमि नही है। आबादी भूमि में मातहत अदालत को अपीलाधीन निर्णय पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार हासिल नही है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

7. अपीलाधीन आदेश कृषि वर्ष के दौरान अतिचार करने 50 गुणा तक शास्ति व लगान निर्धारण करने का आदेश गैर कानूनी ढंग से पारित किया है जबकि धारा 22 उप निवेशन अधिनियम के तहत फसल के मुल्य की वसुली के तहत आदेश अनुज्ञेय में पारित किया है।

8. मातहत अदालत ने वार्षिक लगान का 50 गुना तक व सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश गैर कानूनी ढंग से पारित किया है जबकि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत फसल के मूल्य की [illegible] के तहत आदेश अनुज्ञेय नही है। जैसा कि माननीय राजस्व [illegible] बनाम स्टेट अपील सं. 4636/एल. आर. हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 30.0[illegible]2017 में पारित किया है तथा इसी प्रकार से सिविल कारावास देने के लिए रेस्पोडेन्ट सक्षम नही है। उपरोक्त शक्ति कलक्टर को है जैसा कि माननीय राज. उच्च न्यायालय की डबल बैच द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उमाशंकर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान D.B. Civil Special Appeal (Writ) No. – 832 Of 2001 निर्णय दिनांक 05.02.2015 में पारित किया है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।

9. अपील अपीलान्ट न्यायालय के अधिक्षेत्र की है व अन्दर मियाद है तथा मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है।

अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थीगण/ अपीलान्ट स्वीकार फमाई जाकर रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2025 प्रकरण सं. 09/2025 बअनवानी सरकार बनाम सुरेश पुत्र जोतराम जाति जाट आदि बअदालत श्रीमान नायब तहसीलदार छानीबड़ी तहसील भादरा स्थगित फरमाई जावे एवं अपीलान्ट के ग्राम पंचायत जोगीवाला तहसील भादरा से जारी पट्टा शुदा भूखण्ड से बेदखल करने से निषिद्व रहे एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधी निर्णय मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छानीबड़ी तहसील भादरा को आबादी भूमि पर उपनिवेश अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही करनें का अधिकार नहीं है। मातहत अदालत द्वार अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलांट को के विरूद्व कार्यवाही की गई, जो विधि विरूद्व है। ग्राम पंचायत जोगीवाला द्वारा दिनांक 25.10.1986 को अपीलांट के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2025 अनवान सरकार बनाम सुरेश पुत्र जोतराम में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2025 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आबादी भूमि से संबधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है और न ही ग्राम पंचायत की कोई रिपोर्ट संलग्न है एंव ना ही ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है जबकि अपीलांट की इस विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत जोगीवाला [illegible] द्वारा 25.10.1986 को पट्टा जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत जोगीवाला से उक्त पट्टा के संबध में कोई जवाब/ रिपोर्ट नहीं ली गई। केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही दिनांक 15.09.2025 को निर्णय पारित/नोटिस दिया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही की जानी प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 65/2025 अनवान सुरेश बनाम स्टेट

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय पारित करनें विवादित भूमि/भूखण्ड के दस्तावेजो एंव ग्राम पंचायत की रिपोर्ट नहीं ली जाकर त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 15.09.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार छानीबड़ी तहसील भादरा को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि विवादित भूखण्ड/ भूमि की जांच पड़ताल कर एंव ग्राम पंचायत जोगीवाला द्वारा पट्टा के संबध में रिपोर्ट ली जाकर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छानीबड़ी तहसील भादरा से तलबशुदा मूल रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर वापिस लौटाया जाये। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19/12/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested